उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग
संख्याः 1/2023/15/91/2022-09-2014
लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी.सी. III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-104 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहीत अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	रेशम विकास विभाग	केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार), सहायतित सिल्क समग्र-2 योजना निजी क्षेत्र में रेशम उत्पादन के लिए अनुदान सहायता	जिला स्तरीय उप/सहायक निदेशक (रेशम)	90 दिवस	(उप निदेशक) नोडल अधिकारी	30 दिवस	निदेशक, रेशम विकास, उत्तर प्रदेश	30 दिवस
		राज्य सहायतित जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना	जिला स्तरीय उप/सहायक निदेशक (रेशम)	90 दिवस	(उप निदेशक) नोडल अधिकारी	30 दिवस	निदेशक, रेशम विकास, उत्तर प्रदेश	30 दिवस

आज्ञा से,
के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
LOK SEWA PRABANDHAN ANUBHAG

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1/2023/ 15 /91-2022-09/2014. dated 08 February, 2023:

NOTIFICATION

No.1/2023/15/91-2022-09/2014
Lucknow; Dated: 08 February, 2023

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P.Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated 15 January, 2011 as amended from time to time:

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule after entries at serial number 104, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, be column-wise inserted, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Name of the Department	Services	Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of First Appeal	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Sericulture Development Department	Central Silk Board (Government of India) Sponsored Silk Samagra-2 Scheme Grant- in Aid for Sericulture in Private Sector	District Level Deputy /Assistant Director (Sericulture)	90 Days	(Deputy Director) Nodal Officer	30 Days	Director, Sericulture,U.P.	30 Days
		State Aided Awareness and Training Scheme	District Level Deputy /Assistant Director (Sericulture)	90 Days	(Deputy Director) Nodal Officer	30 Days	Director, Sericulture,U.P.	30 Days

By order,
K. Ravinder Naik
Pramukh Sachiv .

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।